रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)04/0007/2003—16 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—16

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2016/वैशाख 19, 1938 (शक)
No. 27] NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2016/VAISAKHA 19, 1938 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 9th May, 2016/*Vaisakha* 19, 1938 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 6th May, 2016, and is hereby published for general information:—

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) ACT, 2016
No. 24 OF 2016

[*6th May*, 2016.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for different States and any reference in any provision to the commencement of this Act shall be construed in relation to any State as a reference to the coming into force of that provision in that State.

Amendment of Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

2. In the Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950,— C.O. 19.

(*a*) in Part V.—*Haryana.*—

(*i*) after entry 1, insert,—

"1A. Aheria, Aheri, Hari, Heri, Thori, Turi";

(*ii*) after entry 29, insert,—

"29A. Rai Sikh";

(*b*) in Part VIII.—*Kerala,* for entries 36 and 37, substitute—

"36. Malayan (in the areas comprising the Kannur, Kasaragode, Kozhikode and Wayanad districts)

37. Mannan, Pathiyan, Perumannan, Peruvannan, Vannan, Velan";

(*c*) in Part XIII.—*Odisha,* omit entries 8 and 49;

(*d*) in Part XIX.—*West Bengal,* for entry 60, substitute—

"60. Chain";

(*e*) in Part XXIII.—*Chhattisgarh,* for entry 25, substitute—

"25. Ghasi, Ghasia, Sais, Sahis, Sarathi, Soot-Sarathi, Thanwar".

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS
AND PUBLISHED BY THE

अनुबंध - 2

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1600] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2016/आषाढ़ 7, 1938
No. 1600] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2016/ASHADHA 7, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2016

का.आ. 2221(अ).—केन्द्रीय सरकार, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 24), की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 जून, 2016 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध हरियाणा, केरल, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों के संबंध में प्रवृत्त होंगे।

[सं. 12016/10/2014-एस.सी.डी.(आर.एल.सैल)]
आईन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2016

S.O. 2221(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2016 (24 of 2016), the Central Government hereby appoints the 30th day of June, 2016, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in the States of Haryana, Kerala, Odisha, West Bengal and Chhattisgarh.

[F. No. 12016/10/2014-SCD (R.L.Cell)]
AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

3218 GI/2016

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 24)

[6 मई, 2016]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का, किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन।

सं॰आ॰ 19

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में,—

(क) भाग 5 - हरियाणा में,—

(i) प्रविष्टि 1 के पश्चात्, अंत:स्थापित करें,—

"1क. अहेरिया, अहेरी, हारी, हेरी, थोरी, तुरी";

(ii) प्रविष्टि 29 के पश्चात्, अंत:स्थापित करें,—

"29क. राय सिख";

(ख) भाग 8 - केरल में, प्रविष्टि 36 और प्रविष्टि 37 के स्थान पर रखें,—

"36. मलयन (कन्नूर, कासरागोड़, कोझीकोड़ और वयनाड-जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों में);

37. मण्णन, पथियन, पेरुमण्णन, पेरुवण्णन, वण्णन वेलन";

(ग) भाग 13 - ओडिशा में, प्रविष्टि 8 और प्रविष्टि 49 का लोप करें;

(घ) भाग 19 - पश्चिमी बंगाल में, प्रविष्टि 60 के स्थान पर रखें—

"60. चेन";

(ङ) भाग 23 - छत्तीसगढ़ में, प्रविष्टि 25 के स्थान पर रखें—

"25. घासी, घसिया, सईस, सहीस, सारथी, सूत-सारथी, थनवार"।

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर 2017—कार्तिक 19, शक 1939

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक ई 1-15/2017/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री नीलकंठ टीकाम, भा.प्र.से. (2008), संयुक्त सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, जल संसाधन तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री समीर विश्नोई, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

4. उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07-07-2017 द्वारा श्री गुरूनाथन एन, भा.व.से. (2012) वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर को स्थानांतरित कर वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है.

श्री गुरूनाथन एन. की उक्त पदस्थापना आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें यथावत् वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है.

5. विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07-07-2017 द्वारा श्री गणवीर धम्मशील, भा.व.से. (2012) को वनमण्डलाधिकारी, केशकाल के पद पर पदस्थ किया गया है. उक्त आदेश संशोधित कर श्री गणवीर धम्मशील, भा.व.से. (2012) को वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2017

क्रमांक /एफ 10-03/2013/25/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसचित जाति की सूची के सरल क्रमांक 25 में घासी, घसिया के साथ सईस, सहिस, सारथी, सुत-सारथी, थनवार जाति को अधिसूचित करने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्गों की जाति सूची में अनुक्रमांक 65 में शामिल सुत सारथी-सईस/सहीस जातियों को विलोपित करता है.

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 30-06-2016 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त, सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 2-18/2010/नौ/55-तीन.—राज्य शासन, "छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम, 2014" में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 4 में अनारक्षित श्रेणी के न्यूनतम "40 प्रतिशत" अंक के स्थान पर "30 प्रतिशत" अंक तथा आरक्षित श्रेणी के न्यूनतम "30 प्रतिशत" अंक के स्थान पर "20 प्रतिशत" अंक प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. कंडिका 8 (19) (ज) में अंक एवं शब्द "अंतिम तिथि से 07 दिन" के स्थान पर अंक एवं शब्द "अंतिम तिथि से 02 दिन" प्रतिस्थापित किया जाए.

यह संशोधन शैक्षणिक सत्र 2017-18 हेतु लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव.